बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 24.06.2015

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की अध्यक्षता में बिहार विधान परिषद् निर्वाचन, 2015 एवं निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2015 के संबंध में दिनांक 24.06.2015 को 12:00 बजे मध्याह्न से सभी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के साथ एक बैठक आहूत की गयी जिसमें उपस्थित सभी राजनैतिक दलों को बिहार विधान परिषद् निर्वाचन, 2015 के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशानिर्देशों से अवगत कराया गया। साथ बिहार विधान परिषद् निर्वाचन में की जाने वाली निम्नांकित कार्रवाई से राजनैतिक दलों को अवगत कराया गया :–

1. प्रथम बार फोटो निर्वाचक सूची का उपयोग,
2. मतपत्र में अभ्यर्थी के छायाचित्र का होना,
3. ईपिक/फोटोयुक्त पहचान पत्र के माध्यम से मतदान,
4. सभी मतदान केन्द्रों से मतदान प्रक्रिया की लाईव वेबकास्टिंग,
5. मतदान प्रक्रिया के प्रेक्षण हेतु 24 प्रेक्षकों की प्रतिनियुक्ति,
6. विधान परिषद् निर्वाचन में अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण हेतु आयोग का निदेश,
7. निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में नकद् रूपये के परिचालन पर निगरानी,
8. सभी राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों को निर्वाचन संबंधी व्यय पर स्व नियंत्रण रखा जाना,
9. प्रत्येक विधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र में 3 Flying Squad का गठन,

10. प्रत्येक जिलों में व्यय अनुश्रवण कोषांग का गठन/नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति,

11. अभ्यर्थी व्यय से संबंधित शिकायत के निष्पादन हेतु जिलों में टॉल फ्री नम्बर का अधिष्ठापन,

12. आयकर विभाग, उत्पाद एवं पुलिस विभाग से अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किया जाना

(ख) कुछ राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा बिहार विधान परिषद् निर्वाचन में निर्वाचकों को डराये/धमकाये जाने से संबंधित मामले की जानकारी दी गई, जिस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा स्पष्ट रूप से लिखित शिकायत पत्र (विस्तृत विवरण के साथ) समर्पित करने का अनुरोध किया गया, ताकि इस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

(ग) बिहार राज्य में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2015 के दौरान की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई तथा यह सूचित किया गया कि प्रारूप निर्वाचक सूची में निर्वाचक सूची के समेकन किये जाने तथा एकीकृत नहीं किये जाने के कारण कई जगहों पर निर्वाचक के क्रम संख्या disarrange हो गये हैं, जिसके संशोधन हेतु निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन में निर्वाचकों के क्रम संख्या को reserialize (पुनर्क्रमांकित) किया जायेगा। सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा भी इससे सहमति व्यक्त की गई।

राजनैतिक दलों के अनुरोध पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक सूची की प्रति राजनैतिक दलों के अतिरिक्त सभी मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

****